



ఆదాయపు పన్ను ప్రధాన ముఖ్య కమిషనర్ వారి కార్యాలయము, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ

10వ అంతస్తు, సి బ్లాక్, ఆదాయపు పన్ను శాఖ శిఖరము, ఏసి గార్డ్స్, హైదరాబాద్ - 500004.

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना

10वीं मंजिल, 'सी' ब्लॉक, आयकर शिखर, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद - 500004.

Office of the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, Andhra Pradesh & Telangana

10th Floor, 'C' Block, IT Towers, AC Guards, Hyderabad - 500004.

దూరవాణి / टेलिफोन / Telephone No. : 040 - 23425474

ఫ్యాక్స్ / फैंक्स / Fax : 040 - 23241427

फ.सं.प्र.मु.आ.आ./4(16)/स्थापना/आशु./२०२५-२६

दिनांक: ०७.०५.२०२५

F. No. Pr.CCIT/4(16)/Estt/Steno /2025-26

Date: 07/05/2025

ఆదేశ సంఖ్య / आदेश संख्या / ORDER NO: 32 of 2025

विषय: स्थापना - आयकर विभाग, हैदराबाद, आशुलिपिकों का स्थानान्तरण एवं तैनाती आदेश - जारी - करने के संबंध में।

Sub: Establishment - I.T. Department, Hyderabad - **Transfers and postings of Stenographers - orders - Issue of - Regarding.**

एतद्वारा आशुलिपिक कर्मियों का स्थानान्तरण व तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जारी किया जाता है।

The transfers and postings of the following **Stenographers** are hereby ordered with immediate effect and until further orders.

అంతర స్టేషన్ / इंटर स्टेशन / INTER STATION

क्र.सं. SL. NO.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) NAME OF THE OFFICIAL (SRI/SMT/MS)	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM STATION	को स्थानांतरित TRANSFERRED TO OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED TO STATION
1	AMIT KUMAR GHOSH	PRCIT, VIJAYAWADA	VIJAYAWADA	CIT(A)-3, VISAKHAPATNAM	VISAKHAPATN AM

స్థానిక / स्थानीय / LOCAL

क्र.सं. SL. NO.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) NAME OF THE OFFICIAL (SRI/SMT/MS)	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM STATION	को स्थानांतरित TRANSFERRED TO OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED TO STATION
1	MANISH SAVITA	CCIT, HYDERABAD	HYDERABAD	CIT(DR)(ITAT)-1, A- BENCH, HYDERABAD	HYDERABAD
2	RAKHEE SINGH	PRCIT-4, HYDERABAD	HYDERABAD	CCIT, HYDERABAD	HYDERABAD
3	SINGUPURAPU SAI	PRCIT(AU)-1, VISAKHAPATNAM	VISAKHAPATNA M	CIT(DR)(ITAT), VISAKHAPATNAM	VISAKHAPATNA M



Bpr

2. अपने मु.आ.आ./ आ.म.नि./ प्र.आ.नि/ प्र.आ.आ./ आ.आ./ आ.नि. को उनके प्रभार में तैनात सभी कर्मचारियों के मामले में इस कार्यालय को सूचित करते हुए आवश्यक तैनाती आदेश जारी करना होगा।
The concerned CCIT/DGIT/PDIT/PCIT/CIT/DIT shall make necessary posting in respect of all officials who are posted in their charge without changing the station, under intimation to this office.
3. सभी कार्यालय प्रमुख स्थानांतरण आदेशाधीन कर्मचारियों को दिनांक 13/05/2025 तक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें।
The Heads of Office are required to relieve the officials under orders of transfer positively by **13/05/2025**.
4. स्थानांतरण आदेशाधीन कर्मचारियों को उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी। जिनके अधीन वे वर्तमान में कार्यरत हैं। यदि कोई छुट्टी आवेदन तो उसे नई तैनाती कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाए।
The officials under orders of transfer shall not be granted Earned Leave by the Competent Authority under whom they are presently working. Leave applications, if any, may be forwarded to the new place of posting for necessary action.
5. यदि किसी कर्मचारी को उक्त तिथि से आगे भी रोकने की आवश्यकता हैं तो, कार्यालय प्रमुख को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद से पूर्व लिखित अनुमोदन लेना होगा।
In case, any official is being proposed to be retained beyond the above mentioned date, the Head of office shall take prior written approval from the Pr.CCIT, AP & Telangana.
6. कार्यालय प्रमुखों को यह निदेश दिया जाता है कि कर्मचारियों को कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट अलग से दिनांक **16/05/2025** तक भेजी जाए।
The Heads of Office are directed to send separate compliance report on relieving and joining of officials from/to their offices latest by **16/05/2025**.
7. यदि कोई अभ्यावेदन हो तो अपने नये तैनात कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारी को उक्त कार्यालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। पुराने तैनात कार्यालय में उस पर विचार नहीं किया जायेगा। विभागाध्यक्ष अपने प्रभार से स्थानांतरित किए गए अधिकारियों के अभ्यावेदन को अग्रेषित नहीं करेंगे।
Officials may file their representations, if any, only after joining in their new postings allotted to them and representations filed from the old postings will not be considered. The heads of department shall not forward representations of the officials transferred out from their charge.
8. आयकर विभाग आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र के समूह “बी” (अराजपत्रित) एवं समूह “सी” (कारचालकों के अतिरिक्त) की स्थानांतरण नीति के खंड IV के अनुसार जबतक कार्यमुक्त तिथि से पहले स्थानांतरण आदेश स्वतः या अभ्यावेदन पर रद्द नहीं किया जाता है। स्थानांतरित कर्मचारी को आदेश में उल्लेखित नियत तिथि पर कार्यमुक्त माना जायेगा। यह स्पष्ट हो कि स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर स्थानांतरण आदेश की अवहेलना में कर्मचारी को पूर्व पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके मद्दे नजर किसी कर्मचारी को नियत तिथि तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उसे अगले कार्य दिवस से कार्यमुक्त माना जायेगा। उस कर्मचारी को पिछले पद पर बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसे देखते हुए किसी कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अगले दिन तक उसे कार्यमुक्त समझा जायेगा।



Handwritten signature in blue ink.

As per clause IV of Transfer Policy for Group 'B' (Non Gazetted) & Group 'C' Officials (Other than Staff Car Drivers) of Income Tax department, AP & Telangana Region, unless the transfer order is cancelled either suo-moto or on representation, before the due date of relieving the transferee shall be considered as deemed relieved on the due date given in the transfer order. It is clarified that representation made against the transfer shall not confer any right whatsoever on the official to continue at the previous post in defiance of the transfer order. In view of this, if any of the Official is not relieved by due date, he/she shall be deemed relieved by next working day.

9. प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया गया तथा निपटारा किया गया।

All representations received are considered and stands disposed of.

10. ఇది ఆదాయపు పన్ను ప్రధాన ముఖ్య కమీషనర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ, హైదరాబాదు వారి ముందస్తు అనుమతితో జారీ చేయబడింది.

यह आदेश प्र.मु.आ.आ., आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This order is issued with the prior approval of the Pr.CCIT, AP & TG, Hyderabad.

हस्ता /- -Sd/-

(శివ సేవక్ / शिव सेवक / SHIVA SEWAK)

ఆదాయపు పన్ను కమీషనర్ (పరిపాలన మరియు పన్ను చెల్లింపుదారుల సేవలు)

आयकर आयुक्त (प्रशासन एवं करदाता सेवाएँ),

Commissioner of Income Tax (Admn. & TPS),

ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ / आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना / Andhra Pradesh & Telangana.

प्रतिलिपि / Copy to:

1. सम्बन्धित कर्मचारी / The Officials concerned.
2. मु.आ.आ., /हैदराबाद/विजयवाड़ा/ विशाखापट्टणम और आ.म.नि (अन्वे), हैदराबाद / The CCsIT, Hyderabad/ Vijayawada / Visakhapatnam and DGIT(Inv.), Hyderabad.
3. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में सभी प्र.आ.आ./आ.आ./प्र.आ.नि./आ.नि. / All the Pr.CsIT/CsIT/Pr.DsIT/DsIT/ReFAC in AP & Telangana Region.
4. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में कार्यालयों के सभी प्रमुख / All the Heads of Offices in A.P. & Telangana Region.
5. सचिव, आई.टी.ई.एफ., आ.प्र. एवं तेल. इकाई/आई.टी.एस.ई.डब्ल्यू.ए., आई.टी.ओ.बी.सी. एसोसियेशन, हैदराबाद/ The Secretary, ITEF, AP & TG Unit / ITSEWA / ITOBC Association.
6. क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हैदराबाद/ ZAO, CBDT, Hyderabad / Visakhapatnam.
7. स्टॉक फाइल/निजी फाइल/डाटा बेस फाइल / The Stock file/Personal file/Data Base File.
8. हैदराबाद में प्र.मु.आयकर आयुक्त के कार्यालय के सभी अनुभाग / All the Sections in Pr.CCIT's Office in Hyderabad.

Bpo

(बी. दिनेश अदित्य / बी. दिनेश आदित्य / B. DINESH ADITYA)

ఆదాయపు పన్ను ఉప కమీషనర్ (ముఖ్య కార్యాలయ అధికారి మరియు పరిపాలన)

आयकर उपायुक्त (मुख्या)(प्रशासन)

Dy. Commissioner of Income Tax(Hqrs.)(Admn.)

ఆదాయపు పన్ను ప్రధాన ముఖ్య కమీషనర్ వారి కార్యాలయము

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय

O/o. the Pr. Chief Commissioner of Income Tax,

ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ / आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना / Andhra Pradesh & Telangana.

